

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २२८]

नई दिल्ली, सोमवार, जून २५, १९७३/आषाढ़ ४, १८९५

No. 228]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1973/ASADHA 4, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(Personnel I Section)

ORDER

New Delhi, the 25th June 1973

S.O. 353(E).—Whereas the Central Government is of opinion that for the purposes specified in clause (i) and clause (ii) of sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968),—

- (a) an officer of the rank corresponding to that of the lowest rank of members of the Force is empowered under the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), to exercise the powers and discharge the duties under sections 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151 and 152 of the said Code;
- (b) an officer of a rank corresponding to or lower than that of officers and subordinate officers of the Force is empowered under the said Code to exercise the powers and discharge the duties under sections 55, 102, 103 and 131 thereof;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 139 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby directs that for the purposes referred to in clause (i) and clause (ii) of that sub-section,—

- (a) any member of the Force may within the local limits of the areas specified in the Schedule hereto annexed exercise the powers and discharge the duties under sections 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151 and 152 of the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898);
- (b) any officer or subordinate officer of the Force may within the local limits of the areas specified in the said Schedule exercise the powers and discharge the duties under sections 55, 102, 103 and 131 of the said Code.

THE SCHEDULE

The whole of the area comprised in the States of MEGHALAYA and NAGALAND and in the Union Territory of MIZORAM.

[No. F. 4(13)/73-CLO/BSF/PERS-I.]

C. G. SOMIAH, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय
(कार्मिक I अनुभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 25 जून, 1973

फा० आ० 353 (अ).—यन. केन्द्रीय सरकार की राय है कि सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) के खंड (i) और खंड (ii) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए,—

(क) बल के निम्नतम रैंक के सदस्यों के तत्समान रैंक का अधिकारी बंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन उक्त संहिता की धारा 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मशक्त है ;

(ख) बल के अधिकारी और अधीनस्थ अधिकारी के तत्समान या निम्नतर रैंक का अधिकारी उक्त संहिता के अधीन उसकी धारा 55, 102, 103 और 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए मशक्त है ;

अतः, अब, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 139 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, केन्द्रीय सरकार निदेश देती है कि उस उपधारा के खंड (i) और खंड (ii) में निदिष्ट प्रयोजनों के लिए,—

(क) दल का कोई सदस्य, इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर बंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 47, 48, 49, 51, 53, 54, 149, 150, 151 और 152 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ;

(ख) बल का कोई अधिकारी या अधीनस्थ अधिकारी उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त संहिता की धारा 55, 102, 103 और 131 के अधीन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन कर सकेगा ।

अनुसूची

मेघालय और नागालैंड राज्यों में और मिजोरम संघ राज्य क्षेत्र में समाविष्ट समस्त क्षेत्र ।

[मं० फा० 4(13)/73-सी० एल० ओ०/बी० एम० एफ० पर्स-1]

सी० जी० सोमय्या, संयुक्त सचिव ।